

मूल वाद में डिक्ली  
(आदेश 20, नियम 6, 7, जोधरा विभाग)  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

पीठारीन अधिकारी :- स्वाति गुप्ता  
राजस्व वाद संख्या :- 264/2024

1. सुमित सहारण पुत्र जगदीश सहारण जाति जाट निवासी काठुवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

-- वादी

वर्गम

1. सनोज पत्नी जगदीश प्रसाद जाति जाट निवासी काठुवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

2. जगदीश सहारण पुत्र लूणासम जाति जाट निवासी काठुवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

3. अभिनव पुत्र जगदीश सहारण जाति जाट निवासी काठुवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

4. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी।

-- प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए.घोषणा व खाता विभाजन

डिक्री

दिनांक :- 22.08.2024

वादी की ओर से श्री महावीर प्रसाद वर्मा अधिवक्ता की व प्रतिवादीगण की ओर से श्री कर्नेलसिंह की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 22.08.2024 को स्वाति गुप्ता उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि

(क). वादी सुमित सहारण को प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 11 एजी के पत्थर नम्बर 213/362(42) किला नम्बर 24/1/0.038, 25/1/0.190, पत्थर नम्बर 213/363(45) किला नम्बर 1/1/0.177, 2/1/0.190, 3/1/0.190, 4/1/0.240, 5 ता 10/1.518, 12 ता 19/2.024, 22/2/0.228, 23/2/0.228, 24/2/0.228, 25/2/0.228 हैक्टर कुल 5479 हैक्टर।

(ख). प्रतिवादीया संख्या 1 सनोज को प्राप्त आराजी:-चक नम्बर 11 एजी के पत्थर नम्बर 213/364 (50) किला नम्बर 2 ता 6/1.265 हैक्टर।

आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर खाता तहसील कर मुताबिक तकसीम रकम राज अलग से कायम की जाकर चक नम्बर 11 के खाता संख्या 75/72 मे से प्रतिवादीया संख्या 1 का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किरम (यथा नहरी/बाराणी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा। खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 22.08.24 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

मुहर



(स्वाति गुप्ता)  
 उपखण्ड अधिकारी एवम  
 पदेन सहायक कलक्टर  
 टिब्बी

### वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	---	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	---
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	---	अर्जी के लिये स्टाम्प	---
प्रदर्शों के लिये स्टाम्प	---	प्लीडर की फीस	---
रूपये पर प्लीडर की फीस	---	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	---
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	---	आदेशिका की तामिल	---
कमिश्नर की फीस	---	कमिश्नर की फीस	---
आदेशिका की तामिल	---	योग	---
योग	---		---